न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 49/2025 बउनवानी मोहर सिहं **बनाम** तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा

GCMS No-2025/ 158

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *पटवारी हल्का बूचोलाई के ग्राम टोटोलाई व मीनापाडा के नक्शा सीट एवं राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 5928–60 दिनांक 8.4.2004 एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश संख्या 1025–30 दिनांक 25.4.2004 की पालना में जारी किये गये शुद्वी पत्रो के संबंध मे कुल 6 बिन्दुओं की सूचना* " तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सूकाअ/2025/()/291 दिनांक 25.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2025 मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय तलावडा को भिजवाया दिया जाने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे जरिये पत्रांक 290 दिनांक 25.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी से तहसील तलावडा को भिजवाया दिया जाने के कारण चाही गयी सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय तलवाडा को भिजवाया जा चुका था तो अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र भी अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार तलावडा को अन्तरित करना चाहिए था जो नही कर अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की गयी है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों से संबंधित सूचनाऐ आपके कार्यालय से संबंधित नही हो तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत नियत समयावधि मे संबधित को [illegible] सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible] गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:12 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner